

संख्यांक 1

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)**

**बईजलास - जय कौशिक (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 02/2020

तारीख दायर : 13.01.2020

**अनवान**

1. निहालबाई पत्नि सत्यकंवरसिंह जाति राजपुत निवासी बल्दरखां तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा। वादी...

**बनाम**

1. भवाना पिता श्रीराम जाति मीणा निवासी कचौलियां कलां तहसील माण्डलगढ़।  
2. धर्मा पिता नारायण जाति कंजर निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़।  
3. हीरा पिता श्रीराम जाति मीणा निवासी कचौलियां कलां तहसील माण्डलगढ़।

प्रतिवादीगण...

**उपस्थित :-**

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता वादी)

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955**

**-: निर्णय :-**

निर्णय दिनांक: 04.01.2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 एकपक्षीय कार्यवाही होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित की जाती है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम कचौलियां खूर्द पटवार हल्का श्रीनगर में स्थित भूमि में से प्रतिवादी स0 1 को आराजी नम्बर 164/6 के करीब 16 बिस्वा रकबे से एवं प्रतिवादी स0 2 को करीब 05 बिस्वा भूमि से एवं प्रतिवादी संख्या 03 को आराजी संख्या 203/3 के करीब 05 बिस्वा रकबे से बैदखल किया जाकर भूमि का कब्जा वादीया को सुपूर्द किया जावे। तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण पुनः अवैध कब्जा न करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी किए जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 04.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर लगाकर दिया गया।



जय कौशिक (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डलगढ़

**वाद के खर्चे**

वादी	रूपया	आ.पा.	प्रतिवादी	रूपया	आ.पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			2. अर्जी के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			3. प्लीडर की फीस		
4. ....			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
प्लीडर की फीस					
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय					
6. कमिश्नर की फीस			5. आदेशिका को तामील		
7. आदेशिका की तामील			6. कमिश्नर की फीस		

जय कौशिक (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डलगढ़